संख्या 118 /लोनि–1/02–1(26)हरिद्वार/2002

प्रेषक,

टी0 के0 पन्त,
संयुक्त सचिव,,
उत्तरांचल शासन ।

सेवामें,

प्रभारी मुख्य अभियन्ता,स्तर–1
लोक निर्माण विभाग
देहरादून ।

लोक निर्माण अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 26 फरवरी, 2004

विषयः–जनपद हरिद्वार में राज्य योजना 2002–2003 के अन्तर्गत विधान सभावार स्वीकृत कार्यो के स्थान पर मा0 विधायक द्वारा परिवर्तित योजनाओं वर्ष 2003–2004 में स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1545/24याता0–उत्तरांचल/2003 दिनांक 07 अप्रैल 2003 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2002–2003केअन्तर्गत विधानसभावार शासनादेशसंख्या –8448/लोनि–2/2002–95 (प्रा0आ0)/02 दिनांक 19 दिसम्बर 2002 द्वारा 337 कार्यो की रूपये 5285.20 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृत प्रदान की गई थी।उपरोक्त शासनादेश के कमांक–148एवं 149 पर स्वीकृत कार्यो की स्वीकृति को निरस्त करते हुये उनके स्थान पर **रामनगर कालोनी अवधूत मण्डल के पीछे नाली से नाली तक की चौडाई में सी.सी.मार्ग का निर्माण**,लम्बाई 0.160 की रूपये 4.83 लाख की लागत के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये वर्तमान वित्तीय वर्ष में रू0 0.10 लाख (रू0 दस हजार मात्र)की धनराशि के व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

2 उपरोक्त शासनादेश दिनांक 19–12–2002 में निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति को केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाये ,उक्त प्रस्तर में इंगित 2 योजनाओं के लिये स्वीकृत रू0 0.90 लाख (रू0 नब्बे हजार मात्र) की धनराशि को शासन को समर्पित कर दिया जायेगा ।

3. उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्य किसी अन्य योजना में स्वीकृत हो गये हों तो इनके लिये स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण नही किया जायेगा,एवं तदनुसार सूचना तत्काल शासन को उपलब्ध कराई जायेगी । स्वीकृत किये जा रहे कार्य अनुमोदित लागत में ही पूर्ण करा लिये जायेगें तथा इनके लिये कोई अतिरिक्त धनराशि अनुमन्य नही होगी ।

4 व्यय करते समय बजट मैनुअल,वित्तीय हस्तपुस्तिका स्टोर पर्चेज रूल्स,टैण्डर विषयक नियम एवं शासन के अन्य विषयक आदेशों का अनुपालन किया जायेगा । व्यय किसी अन्य कार्य पर न करके इसी अनुमोदित कार्य पर किया जायेगा ।

5 आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरो का पुनः स्वीकृत हेतु अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा ।

6 एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

7 कार्य करने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों द्वारा अवश्य करा ले,निरीक्षण के बाद स्थल आवश्यकता एवं प्राप्त निर्देशों के अनुरूप कार्य किया जायेगा ।

8 कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुये लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

9 कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाय,कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें ।

10 स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31–3–2004 तक करने के उपरान्त कार्य की वित्तीय /भौतिक प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।यदि उसका उपयोग उक्त अवधि में नहीं होता है तो इसका समस्त दायित्व एवं कार्य की गुणवत्ता का समस्त दायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का ही होगा

11 यदि उक्त योजनाओं हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से इसके पूर्व या अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई हो तो इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित नहीं की जायेगी,और इसकी सूचना शासन को तत्काल दी जायेगी ।

12 उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2003–2004 के अनुदान संख्या–22 के लेखाशीर्षक–5054–सडको पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सडके–आयोजनागत–800 अन्य व्यय–03 राज्य सैक्टर –02 नया निर्माण कार्य–24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

13 यह आदेश वित्त अनुभाग–3 के अ0शा0 सं0– 2922/04 दिनांक 23–2–2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(टी0 के0 पन्त)
संयुक्त सचिव।

संख्या 118 (1)/लोनि–1/04 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1 महालेखकार(लेखा प्रथम)उत्तरांचल,इलाहाबाद/देहरादून।
2 आयुक्त,गढवाल मण्डल,पौडी ।
3 मुख्य अभियन्ता स्तर–2 लोक निर्माण विभाग,पौडी ।
4 जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,हरिद्वार ।
5 अधीक्षण अभियन्ता,24 वां वृत्त लोक निर्माण विभाग,देहरादून ।
6 वित्त अनुभाग–3/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ,बजट अनुभाग,उत्तरांचल शासन।
7 लोक निर्माण अनुभाग–2 उत्तरांचल शासन/गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(टी0 के0पन्त)
संयुक्त सचिव।